न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 103/2025 (GCMS: 2025/111)

राज्य सरकार जरिये श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **राजेश पुत्र श्री रामकिशोर** उम्र 54 साल निवासी बाबा रामदेव मंदिर के पास, रामदेव कॉलोनी, श्रीगंगानगर मोबाईल नं. – 97828–07735
2. **फर्म/दुकान एसएसबी रोड़ स्थित एक दुकान 100 फुट रोड़ के किनारे पर, श्रीगंगानगर**

प्रकरण संख्या 107/2025 (GCMS: 2025/115)

राज्य सरकार जरिये श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **राजेश पुत्र श्री रामकिशोर** उम्र 54 साल निवासी बाबा रामदेव मंदिर के पास, रामदेव कॉलोनी, श्रीगंगानगर मोबाईल नं. – 97828–07735
2. **फर्म/दुकान एसएसबी रोड़ स्थित एक दुकान 100 फुट रोड़ के किनारे पर, श्रीगंगानगर**

<u>25.06.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी आज उपस्थित नहीं हुआ एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री धर्ममपाल प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 18.03.2025 एवं 27.03.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ 100 फुट रोड एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर स्थित फर्म दुकान 100 फुट रोड़ के किनारे पर, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वरवक्त मौका फर्म/दुकान पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना परिचय राजेश पुत्र श्री रामकिशोर निवासी बाबा रामदेव मंदिर के पास, रामलाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर होना बताया जिसकी उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:52 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या 103/2025

दुकान की जांच करने पर दुकान में 10 प्लास्टिक बोतल मय 20 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक बोतल मय 05 लीटर डीजल, 03 प्लास्टिक कीप पायी गई। पूछताछ करने पर उसने समस्त सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त राजेश ने पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर पेट्रोल का बेचान 100 फुट रोड़, श्रीगंगानगर पर स्थित दुकान पर करना बताया। मौके पर राजेश से पेट्रोल बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल के बेचान के कारण 10 प्लास्टिक बोतल मय 20 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक बोतल मय 05 लीटर डीजल, 03 प्लास्टिक कीप को जरिये फर्द जब्ती किया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

प्रकरण संख्या 107/2025

दुकान की जांच करने पर दुकान में 22 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी, 20 लीटर डीजल मय कैनी, 03 प्लास्टिक कीप दुकान में पायी गई। पूछताछ करने पर उसने समस्त सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त राजेश ने पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर पेट्रोल का बेचान 100 फुट रोड़, श्रीगंगानगर पर स्थित दुकान पर करना बताया। मौके पर राजेश से पेट्रोल बेचान करने संबंधी कागजात/ अनुमति/ अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल के बेचान के कारण 22 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक [illegible] 20 लीटर डीजल मय कैनी, 03 प्लास्टिक कीप को जरिये फर्द जब्ती किया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:52 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी राजेश द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र अवैध पेट्रोल की खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (थ), 3(4), 04** का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार से दिनांक 18.03.2025 को जब्तशुदा 22 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी, 20 लीटर डीजल मय कैनी, 03 प्लास्टिक कीप एवं दिनांक 27.03.2025 को जब्तशुदा 10 प्लास्टिक बोतल मय 20 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक बोतल मय 05 लीटर डीजल, 03 प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी की एसएसबी रोड़ पर वाहनों के स्पेयर पार्टस व एसेसरीज की दुकान है। प्रार्थी के परिवार में 5 सदस्य है। प्रार्थी के पास 3 टू व्हीलर वाहन है। प्रार्थी केघर व दुकान से पेट्रोल पम्प बहुत दूर है। प्रार्थी की बच्ची को सरकार की ओर से एक टू व्हीलर वाहन मिला हुआ है, जिस कारण वाहनों में एक साथ पेट्रोल आदि फुल नहीं रखा जाता। प्रार्थी कन्ट्रोल के लिए अपने पास ही रखता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी कभी भी पंजाब से सस्ता पेट्रोल या डीजल लेकर नहीं आया और ना ही प्रार्थी पेट्रोल व डीजल की अवैध तरीके से बिक्री करता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के खिलाफ की गई कार्यवाही मे प्रार्थी किसी अपराधिक भावना से पेट्रोल डीजल रखे हुए नही है और न ही बिक्री करता है। इसलिए प्रार्थी के खिलाफ की गई कार्यवाही समाप्त करने एवं जब्तशुदा पेट्रोल व डीजल रिलीज करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:52 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 18.03.2025 एवं 27.03.2025 को अवैध पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच करने जिला रसद अधिकारी मय स्टाफ सद्भावना एसएसबी रोड़ पर राजेश की दुकान पर पहुंचे तो दिनांक 18.03.2025 को 22 लीटर पेट्रोल, 20 लीटर डीजल मय अन्य सामग्री एवं दिनांक 27.03.2025 को 20 लीटर पेट्रोल 05 लीटर डीजल मय अन्य सामग्री बेचान करने हेतु रखा हुआ पाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी **राजेश स्वयं ने बताया है कि उसके द्वारा पंजाब के पेट्रोल पम्प से पेट्रोलियम पदार्थ क्रय कर श्रीगंगानगर में एसएसबी रोड़ स्थित दुकान पर विक्रय किया जाता है तथा उसके पास भण्डारण/बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि और अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब एवं बहस में अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए उक्त पेट्रोल का भण्डारण किया जाना बताया है जो कि मनगढंत और झूठा है क्योंकि **अप्रार्थी स्वयं ने पेट्रोलियम पदार्थ का पंजाब से क्रय कर, श्रीगंगानगर में एसएसबी रोड़ स्थित दुकान पर विक्रय करना बताया है और जब्ती को तैयार फर्द जब्ती पर अप्रार्थी राजेश स्वयं दुकान से फरार हो गया था।**

दिनांक 18.03.2025 एवं 27.03.2025 को अप्रार्थी की जांच करने पर दोनों बार वह पेट्रोल एवं डीजल का बेचान करते हुए पाया गया। पेट्रोल भण्डारण व बेचान सम्बन्धी अनुज्ञा पत्र को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पूछताछ पर उनके द्वारा पेट्रोल/डीजल बेचान के लाईसेंस [illegible] प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी राजेश द्वारा बिना अनुमति अनुज्ञापत्र के [illegible] पेट्रोल क्रय कर श्रीगंगानगर में उपभोक्ताओं को बेचान करना **मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4),**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:52 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

4 की स्पष्ट उल्लंघना किये जाने के कारण, उससे दिनांक 27.03.2025 को जब्तशुदा 20 लीटर पेट्रोल एवं 05 लीटर डीजल एवं दिनांक 18.03.2025 को जब्तशुदा 22 लीटर पेट्रोल एवं 20 लीटर डीजल एवं अन्य सामग्री को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 27.03.2025 एवं 18.03.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ एसएसबी रोड़ स्थित दुकान पर पहुंचे। वरवक्त मौका दुकान पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना परिचय राजेश होना बताया, जिसकी उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। मौका जांच उक्त दुकान पर दिनांक 27.03.2025 को 10 प्लास्टिक बोतल मय 20 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक बोतल मय 05 लीटर डीजल, 03 प्लास्टिक कीप एवं दिनांक 18.03.2025 को 22 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी, 20 लीटर डीजल मय कैनी, 03 प्लास्टिक कीप भण्डारित पाया गया। **पूछताछ पर राजेश ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब के पेट्रोल पम्प से पेट्रोलियम पदार्थ क्रय कर श्रीगंगानगर में एसएसबी रोड़ पर स्थित दुकान पर विक्रय किया जाता है।** मौके पर राजेश द्वारा पेट्रोल के भण्डारण/बेचान संबंधी कोई भी अनुज्ञा पत्र/परमिट प्रस्तुत नहीं [illegible] दुकान, एसएसबी रोड़ श्रीगंगानगर पर दिनांक 27.03.2025 [illegible] ोल एवं 05 लीटर डीजल एवं दिनांक 18.03.2025 को [illegible] ोल, 20 लीटर डीजल आदि फर्द जब्ती जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा बिना [illegible] नुमति/अनुज्ञापत्र अवैध पेट्रोल की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:52 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (थ), 03(4), 04** का उल्लंघन करने के कारण दिनांक 18.03.2025 जब्तशुदा 22 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी, 20 लीटर डीजल मय कैनी, 03 प्लास्टिक कीप एवं दिनांक 27.03.2025 को जब्तशुदा 10 प्लास्टिक बोतल मय 20 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक बोतल मय 05 लीटर डीजल, 03 प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से हैः—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल का भण्डारण घरेलू साधनों के लिए कर रखा था, जिसके समर्थन में अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:52 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी अप्रार्थी राजेश द्वारा [illegible] भण्डारण / परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैध अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी राजेश द्वारा **अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व**

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

संग्रहण किया जा रहा था। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण के साथ फर्द मौका मय जब्ती प्रस्तुत की है, जिसमें अप्रार्थी राजेश ने पंजाब से पेट्रोलियम पदार्थ क्रय कर श्रीगंगानगर में बेचान करना बताया है। जिस पर अप्रार्थी राजेश के स्वयं के हस्ताक्षर मौजूद है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अप्रार्थी राजेश से दिनांक 27.03.2025 को 10 प्लास्टिक बोतल मय 20 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक बोतल मय 05 लीटर डीजल, 03 प्लास्टिक कीप एवं दिनांक 18.03.2025 को 22 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी, 20 लीटर डीजल मय कैनी, 03 प्लास्टिक कीप जब्त किया गया है, जिससे साबित होता है कि अप्रार्थी अवैध रूप से पेट्रोल के क्रय/विक्रय के कारोबार में लिप्त है।

पत्रावली में उपलब्ध लिखित जवाब/बहस के साथ अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी जानबूझकर कानूनी प्रावधानों को विफल करने के लिए उससे जब्तशुदा पेट्रोल/डीजल को स्वयं के व्यक्तिगत कार्यों में प्रयुक्त होने हेतु भण्डारण करना बताया जा रहा है, जो सही प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अप्रार्थी राजशे स्वयं ने उक्त पेट्रोल को पंजाब से क्रय कर, श्रीगंगानगर में बेचान करना बताया है और कर, फर्द मौका मय जब्ती पर दिनांक 18.03.2025 को हस्ताक्षर किये है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है और दिनांक 27.03.2025 के दौरान अप्रांर्थी राजेश फरार हो गया था। इस प्रकार से न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार [illegible] प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा अप्रार्थी राजेश की दुकान की जांच दिनांक [illegible] 03.2025 को की गई थी और दोनों बार ही उसकी दुकान से पेट्रोल एवं डीजल बेचान करते हुए पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:52 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से उसकी दुकान एसएसबी रोड़ श्रीगंगानगर में पेट्रोल बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा अप्रार्थी राजेश के पास उक्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल परिवहन/बेचान व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है। इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है।

अप्रार्थी ने उक्त डीजल क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी पेश नही किया है। जबकि रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 के बिन्दु संख्या 12 में निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> विलायकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में — स्पष्टीकरण
>
> **(12) पत्रांक : पी—3/जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी, जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व उपायुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग**
>
> (1) पेट्रोलियम उत्पदों का वर्गीकरण — पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरण उनके फ्लैश प्वाईन्ट के अनुसार किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ जिनका फ्लैश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी **वर्ग क** में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक व 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते है **एवं जिनका फ्लेश प्वाईट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 95 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये है।**
>
> Class A : Hexane, NGL, Heptene
> Class B : MTO, C-9 Solvent/raffinate, C-9 raffinates-Solvent90, Iomex
> Class C : Furance Oil (FO), Lighet Diesel Oil(LDO, Aromex

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:52 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

बाकी पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट / एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन, सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाईन्ट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।

(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डरण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

....

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग ''क'' के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 27.03.2025 को 20 लीटर पेट्रोल एवं 05 लीटर डीजल एवं दिनांक 18.03.2025 को 22 लीटर पेट्रोल एवं 20 लीटर डीजल ''भण्डारण एवं बेचान'' करते जब्त किया गया हैं, इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त कुल 42 लीटर पेट्रोल एवं 25 लीटर पेट्रोल के राजसात करने योग्य ठहरते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये प्रावधानों के उल्लंघन बिन्दु संख्या 12(2) की अवेहलना के कारण जब्तशुदा 42 (20+22) लीटर पेट्रोल एवं 25 (5+20) लीटर डीजल भी राजसात किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:52 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 42 लीटर पेट्रोल एवं 25 लीटर डीजल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये कुल 42 लीटर पेट्रोल एवं 25 लीटर डीजल की विक्रय राशि एवं अन्य को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:52 IST
Reason: SelfAttested